



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 45007 वर्ष 2024

नसीम..

...आवेदक(गण)

बनाम

भारत संघ और अन्य

....विरोधीपक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: कृष्ण कन्हैया सोनी, रिज़वान अहमद
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	: आशीष पांडे, ए.एस.जी.आई., कुलदीप सिंह चौहान

न्यायालय क्रमांक - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

यह मामला आज न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रिज़वान अहमद को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत यह वर्तमान ज़मानत अर्ज़ी आवेदक, मोहम्मद नसीम की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें केस अपराध संख्या 24/2021 में ज़मानत पर रिहा किया जाए। यह मामला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 की धारा 8, 20, 29 और 60(3) के तहत दर्ज है, जिसका पुलिस थाना एनसीबी लखनऊ और ज़िला वाराणसी है।

यह आवेदक की ओर से दूसरी ज़मानत अर्ज़ी है। पहली ज़मानत अर्ज़ी को इस न्यायालय की एक समतुल्य पीठ ने आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या 22603/2023 में, दिनांक 25.07.2024 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि गाड़ी नंबर उत्तर प्रदेश 21 सी एन 5495 और स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर डी एल 4 सीएनबी 2731 से कुल 1056 Kgs गांजा बरामद होने का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप है। आवेदक ट्रक नंबर उत्तर प्रदेश 21 सी एन 5495 चला रहा था, जिससे 906

Kgs गांजा बरामद हुआ था। दूसरी जमानत अर्जी लगभग 4-1/2 साल की लंबी जेल की सज़ा के आधार पर दी जा रही है। आवेदक, जो 21.6.2021 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अपने मामले के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा जताया है जो **रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य** (विशेष अनुमति अपील (क्रि.) सं. 4169, 2023) के मामले में 13.07.2023 को दिया गया था। इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले की अवस्था में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल है; इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले की अवस्था में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल है; इसलिए, आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में मौजूद सबूतों की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक के चरित्र, आरोपी से जुड़ी विशेष परिस्थितियों, विचारण के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित होने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा यह मत है कि यह ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

उपर्युक्त केस-क्राइम में शामिल आवेदक मोहम्मद नसीम को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक जाँच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, यह आधार माना जाएगा ज़मानत रद्द करने का आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा, ज़मानत-पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, पुष्टि की जाएगी।

12 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।